

मेसर्स/आवेदक सहायक अभियन्ता, लो.स्वा.यां. उपखण्ड अं.चौकी को समूह जल प्रदाय योजना के लिए शुद्धिकरण संयंत्र तथा जलागार एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमण्डल के उप वन मण्डल अं. चौकी के अंतर्गत नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के व्यपवर्तन में हेतु खसरा नम्बर 181 रकबा 7.401 हे. पहाड़ चट्टान में से समूह जल प्रदाय योजना के लिए शुद्धिकरण संयंत्र हेतु 0.650 हे., एवं शुद्धिकरण संयंत्र हेतु 0.500 हे. तथा जलागार एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु 0.522 हे. कुल 1.672 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1 प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि खसरा नम्बर 181 रकबा 7.401 हेक्टेयर पहाड़ में से 0.650 हे. 0.500 हे. एवं 0.522 कुल 1.672 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा नगर पंचायत अ.चौकी तहसील अं. चौकी में स्थित है तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 05.10.2015 (प्रदर्श-"अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-"ब") पर दर्शित है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव नगर पंचायत अं0 चौकी के अध्यक्ष श्री अनिल मानिकपुरी की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 05.10.2015 अं.चौकी में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत नगर पंचायत के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	नगर का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
1	अम्बागढ़ चौकी	सहायक अभियन्ता, लो.स्वा.यां. उपखण्ड अं.चौकी(समूह जल प्रदाय योजना के लिए शुद्धिकरण संयंत्र)	0.650 हे.
2	अम्बागढ़ चौकी	सहायक अभियन्ता, लो.स्वा.यां.(शुद्धिकरण संयंत्र)	0.500 हे.
3	अम्बागढ़ चौकी	सहायक अभियन्ता, लो.स्वा.यां.(जलागार एवं पहुँच मार्ग)	0.522 हे.
कुल योग:-			1.672 हे.

3 यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें नगर पंचायत के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4 यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नगर पंचायत के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 05.10.2015 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जन जाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5 संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नगर पंचायत के दिनांक 05.10.2015 से 05.10.2015 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(मुकेश बंसल)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला- राजनांदगांव

दिनांक 02/11/2015